न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :— श्योराम आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :—197/2022

1. इरफान पुत्र मोहम्मद यासीन जाति मुसलमान निवासी धोधा तहसील पूगल जिला बीकानेर नाबालिक जरिये कुदरती वली माता हबीबा खातून पत्नी मोहम्मद यासीन जाति मुसलमान साकिन धोधा तहः पूगल जिला बीकानेर।

.....प्रार्थी

1. नूर मोहम्मद पुत्र नवाबखां जाति मुसलमान निवासी धोधा तहः पूगल जिः बीकानेर।
2. सरकार जरिये तहसीलदार खाजूवाला जिः बीकानेर।

.... अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीएक्ट

—: आदेश :— दिनांक :06.02.23

प्रार्थना पत्र का सार इस तरह से है कि प्रार्थी के नाम से चक 13 केएलडी ए (कुण्डल) का मु0नं0 179/49 के किला नं0 2 ता 9, 12 ता 17, कुल 14.00 बीघा व मु0नं0 179/57 के किला नं0 1,10,11,20 में 04.00 बीघा व मु0नं0 178/64 के किला नं0 21 में 01.00 बीघा, मु0नं0 178/56 के किला नं0 18, 19, 22 ता 25 में 5.12 बीघा इसप्रकार कुल 6.2213 है0 (23.12 बीघा) खातेदारी शुदा दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। प्रार्थी के खेत चक 13 केएलडी ए के मु0नं0 179/49 के किला नं0 2 ता 9, 12 ता 17 की 14.00 बीघा भूमि में प्रवेश के लिए किला नं0 2 के चिपते अप्रार्थीगण सं0 1 के किला नं0 1 में पक्की सड़क बनी हुई है जिससे आना—जाना है तथा प्रार्थी के खेत में आने जाने के लिए किला नं0 1 के उत्तर दिशा में पूर्व पश्चिम में 2 बिस्वा का कटान करवाना चाहता है जिससे प्रार्थी अपने खेत मुतनाजा में प्रवेश करने में बाधा उत्पन्न हो। प्रार्थी के चिपते मु0नं0 179/49 के किला नं0 1,10,11,20,21 में कटानशुदा डांमर सड़क है तथा किला नं0 1 ता 5 में पक्का खाला बना हुआ है। प्रार्थी खाला के चिपते 2 बिस्वा का किला नं0 1 के उत्तर दिशा में पूर्व पश्चिम में रास्ता कटान करवाना चाहता है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर होने के बाद अप्रार्थी सं0 1 बावजूद रजि0 एडी0 नोटिस भेजने के हाजिर नहीं आने पर एकपक्षीय कार्यवाही की गई। तहसीलदार खाजूवाला की रिपोर्ट अनुसार उक्त भूमि में आवागमन के लिए वर्तमान में रास्ता नहीं है क्योंकि सिंचाई विभाग के खाले पर पुली बनी हुई नहीं है और मु0नं0 179/49 के किला नं0 1 में सड़क से होते हुवे पूर्व की तरफ खाले के नजदीक 2 रास्ता प्रस्तावित किया जाता है तो काश्तकार इरफान अपने खेत में मु0नं0 179/49 में आवागमन कर सकेगा।

अदालत द्वारा तहसीलदार खाजूवाला की उक्त प्रकरण में रिपोर्ट आ जाने के बाद बहस सुनी गई। तहसीलदार रिपोर्ट और प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर गौर करने के बाद अदालत का यह फैसला है कि मुरब्बा नंबर 179/49 के किला नं0 1 में 2 बिस्वा नया रास्ता स्वीकार किया जाना जायज है।

अदालत के फैसले के पीछे निम्न वजह है प्रार्थी का कहना है कि वर्तमान में अपनी कृषि भूमि चक 13 केएलडी ए मुरब्बा नंबर 179/49 की भूमि में प्रवेश हेतु अप्रार्थी सं0 1 मुरब्बा नं0 179/49 के किला नं0 1 में से 2 बिस्वा वांछित रास्ता नजदीकी, सुगम व एकमात्र रास्ता है और तहसीलदार खाजूवाला की रिपोर्ट द्वारा भी इस तथ्य की तस्दीक की गई है इसलिए धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए चक 13 केएलडी ए के मुरब्बा नंबर 179/49 के किला नं0 1 में 2 बिस्वा में रास्ता स्वीकृत किया जाता है। तहसीलदार खाजूवाला इस रकबे की दोगुना डीएलसी जमा करवा कर इस रकबे को गैर मुमकिन रास्ता के तौर पर दर्ज करें अप्रार्थी सं0 1 फैसले के 30 दिन के भीतर क्षतिपूर्ति राशि हासिल कर सकते हैं नहीं तो राशि अमानत मद में जमा करा दी जाए।

निर्णय आज दिनांक .... को सरे इजलास सुनाया गया।

(श्योराम),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)